



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन” सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन नंबर 0771- 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in;

Website: www.cgmpfed.org

अधिसूचना क्रमांक ते.प.(2025)-II

दिनांक 16.07.2025

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 तेन्दू पत्ता सीजन में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेन्दू पत्ते के विक्रय हेतु

आनलाइन ई-निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में तेन्दू पत्ता के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है।

- शासन के द्वारा वर्ष 2025 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिसे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है), के क्षेत्रों में तेन्दू पत्तों का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। संग्रहित पत्ता उपचार उपरांत बोरे में भरकर राज्य के विभिन्न स्थानों पर गोदामों में भण्डारित किया गया है।

अतएव अब संघ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त संग्रहित एवं गोदामीकृत तेन्दू पत्ते के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों / पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से ई-निविदा आमंत्रित करता है। निविदा सूचना (परिशिष्ट-I से X तक तथा अनुसूची सहित) संघ की वेबसाइट www.cgmpfed.org तथा आनलाइन ई-निविदा के पोर्टल <https://cgmpfedtenders.abcprocure.com> से निम्नानुसार तिथि से डाउनलोड किये जा सकते हैं

परिशिष्ट-I (निबंधन एवं शर्तें)

अनुसूची/परिशिष्ट X (तेन्दू पत्ता की लाट सूची)

चक्र	जिस तिथि से ई-निविदा सूचना डाउनलोड की जा सकती है	ई-निविदा प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय	ई-निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय	ऑनलाइन ई-निविदा खोलने की तिथि
प्रथम	05.08.2025	18.08.2025 प्रातः 11.00 बजे से	22.08.2025 अपरान्ह 16.00 बजे तक	22.08.2025 अपरान्ह 16.10 बजे से
द्वितीय	03.09.2025	09.09.2025 प्रातः 11.00 बजे से	12.09.2025 अपरान्ह 16.00 बजे तक	12.09.2025 अपरान्ह 16.10 बजे से
तृतीय	26.09.2025	06.10.2025 प्रातः 11.00 बजे से	10.10.2025 अपरान्ह 16.00 बजे तक	10.10.2025 अपरान्ह 16.10 बजे से

2. परिभाषाएँ, निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश-

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित “निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश”, में दिए गए अनुसार होंगी। ये “निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश” इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं।

अनुसूची/परिशिष्ट
X
(तेन्दू पत्ता की
लाट सूची)

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि-

विभिन्न इकाईयों से संग्रहित एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची-X में दर्शित गोदामों में भण्डारित तेन्दू पत्ते के लाटों के प्रथम निविदा के क्रय हेतु दिनांक **15-02-2026**, द्वितीय निविदा के क्रय हेतु दिनांक **15-03-2026** एवं तृतीय निविदा के क्रय हेतु दिनांक **15-04-2026** को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

4. निविदा पत्र आदि-

- (I) निविदा पत्र (परिशिष्ट-II फार्म 1, 2 एवं 3) तथा निविदाकार का करारनामा (परिशिष्ट-III) मय परिशिष्टों के संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट अथवा ऑनलाइन पोर्टल <https://cgmpfedtenders.abcprocure.com> से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- (II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट-II फार्म 1,
2 एवं 3
(निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III
(निविदाकार
करारनामा)

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण-

- (I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार निविदाकार को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में (निर्धारित स्थान पर) अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (II) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड की स्कैन प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, व्यक्तिगत एवं प्रोपराईटर शीप की स्थिति में स्वयं या प्रोपराईटर का आधार कार्ड, भागीदार फर्म की स्थिति में 2 भागीदारों का आधार कार्ड, कंपनी की स्थिति में 2 संचालकों का आधार कार्ड एवं अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) की स्थिति में कर्ता और एक व्यस्क परिवार सदस्य का संलग्न करना अनिवार्य है।
- (III) निविदाकारों को आनलाइन निविदायें भरने हेतु विस्तृत अनुदेश (परिशिष्ट-IX) तथा विस्तृत Manual ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल <https://cgmpfedtenders.abcprocure.com> में उपलब्ध होगा तथा आनलाइन निविदायें Time Schedule (परिशिष्ट-IX) में दर्शित दिनांक एवं समय के अनुसार प्रस्तुत की जावेंगी।
- (IV) निविदाकार को गत 03 वर्षों के आयकर की विवरणी (Income Tax Return) ITR- V की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट-IX
(निविदाकारों को
आनलाइन) निविदा
भरने हेतु अनुदेश

(Time
Schedule)
परिशिष्ट-IX

यदि निविदाकार नवीन कम्पनी है, तो उस स्थिति में कम्पनी के संचालकों के आयकर की विवरणी; यदि निविदाकार नवीन हिन्दू अविभाजित परिवार है तो उस स्थिति में कर्ता के आयकर की विवरणी; यदि निविदाकार नवीन भागीदार फर्म है, तो उस स्थिति में प्रत्येक भागीदार के आयकर की विवरणी एवं यदि निविदाकार नवीन प्रोपराईटरशीप फर्म है, तो उस स्थिति में के आयकर की विवरणी दिया जाना अनिवार्य है।

- (V) निविदाकार को (GSTIN) सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

6. निविदाओं का खोला जाना-

प्राप्त निविदा Time Schedule (परिशिष्ट IX) में अंकित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेंगी।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन-

- (I) निविदा में लिये गये निर्णय अनुसार सफल निविदाकारों को आवंटित लाटों की सूची संघ की वेबसाइट पर परिशिष्ट-V में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार की सूची एवं असफल निविदाकार की सूची संघ की वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः परिशिष्ट- VI एवं परिशिष्ट- VII में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार का प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सूचना ई-मेल द्वारा दी जावेगी और ऐसी स्वीकृति जारी होने की तिथि से सम्बंधित तेन्दू पत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा।
- (II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अंदर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट IV (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबंधित वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से **POST BID SALE MANAGEMENT SYSTEM Portal cgmf.project247.in में (Digital Signature Certificate) DSC** का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन निविदा निष्पादन की शर्त क्रमांक 14 में दर्शित) निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 5000/- रुपये एवं **लागू GST** बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी। वृत्त के मुख्य वन संरक्षक हेतु निर्धारित 07 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाकार के द्वारा 5,000/- रुपये एवं **लागू GST** बतौर फीस अतिरिक्त जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 08 दिन का अतिरिक्त समय और दिया जा सकेगा। यदि क्रेता द्वारा वन वृत्त कार्यालय में 07 दिन की अवधि वृद्धि हेतु रुपये 5,000/- एवं **लागू GST** रुपये बतौर फीस जमा नहीं किया गया है, एवं उनके द्वारा 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि हेतु अनुरोध किया जाता है तो उन्हें रुपये 10,000/- एवं **लागू GST** बतौर फीस जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि प्रदाय की जा सकती है। इस प्रकार 30वां दिन / 7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 30 दिन / 07 दिन / 15 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय / मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी।
- (III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के **10%** की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा सफल निविदाकर्ता को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि लाट / लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्तवर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, (यदि कोई हो) क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्तवर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो क्रय मूल्य के **15%** की राशि, सत्यंकार की राशि को सम्मिलित करते हुये, जमा कर वसूली एवं काली सूची में दर्ज होने सहित सभी पश्चातवर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है।

परिशिष्ट-V
(निविदाकारवार
आवंटित लाटों की
सूची)

परिशिष्ट- VI
(सफल
निविदाकारों की
सूची)

परिशिष्ट- VII
(असफल
निविदाकारों की
सूची)

परिशिष्ट-IV
(क्रेता का
करारनामा)

8. देय राशि का भुगतान-

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा:-

किश्त क्रमांक	प्रथम निविदा की तिथि	द्वितीय निविदा की तिथि	तृतीय निविदा की तिथि
1	2	3	4
प्रथम	01-10-2025	03-11-2025	03-12-2025
द्वितीय	03-11-2025	03-12-2025	05-01-2026
तृतीय	03-12-2025	05-01-2026	05-02-2026
चतुर्थ	05-01-2026	05-02-2026	05-03-2026

(ब) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करें सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करें की राशि का भुगतान करेगा।

9. पत्तों का परिदान-

(I) किश्त / किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिवहन / निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।

10. परिशिष्ट-

परिशिष्ट-I से IV तथा अनुसूची जिनका कि संदर्भ ऊपर दिया गया है तथा परिशिष्ट V से X (परिशिष्ट II, III, V से IX केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे) जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प. (2025)-II दिनांक 16.07.2025 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना-

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में-

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी-

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करें सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करें सहित प्राप्तियां (-), अधिहरित की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ-

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास
सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007

परिशिष्ट - I

निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश जो निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2025)-II दिनांक 16.07.2025 के भाग है

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं। ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे।

1. परिभाषाएं-

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) **"अधिनियम"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं।
- (ii) **"अभिकर्ता"** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त अभिकर्ता से है।
- (iii) **"देय राशि"** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी। अधिसूचित मात्रा से अधिक भण्डारित / क्रय मात्रा का निविदा दर पर करों सहित क्रय मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।
- (iv) **"परिशिष्ट"** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है।
- (v) **"बकाया"** से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरुद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग अथवा संघ को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,
- (vi) **"संग्रहणकाल"** से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष की अप्रैल से जून तक की अवधि से है,
- (vii) **"मुख्य वन संरक्षक"** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन मुख्य महा प्रबंधक भी घोषित है।
- (viii) **"जिला यूनियन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,
- (ix) **"वन मंडलाधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित वन मंडलाधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,
- (x) **"संघ"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।
- (xi) **"शासन"** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है।
- (xii) **"लाट"** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक सहकारी समिति / वन विभाग द्वारा संग्रहित तेन्दू पत्ता जो बोरों में भरकर एक या एक से अधिक गोदामों में गोदामीकृत किया गया है।

- (xiii) **"नियमावली"** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है।
- (xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो।
- (xv) **"क्रय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त क्रमांक 6(II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो।
- (xvi) **"क्रय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेन्दू पत्ता लाटों की भण्डारित मानक बोरा में दर्शित मात्रा, को नीचे (xvii) की परिभाषित क्रय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो।
- (xvii) **"क्रय दर"** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो।
- (xviii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से है, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं।
- (xix) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के क्रय मूल्य पर समय-समय पर प्रवृत्त देय **वस्तु एवं सेवा कर** व अन्य सभी कर / उपकर आदि से है।
- (xx) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कोई कर / उपकर सम्मिलित नहीं हैं) से है जो निविदाकार विभिन्न लाटों के तेन्दू पत्ता के क्रय के लिए परिशिष्ट- II के Form II में दिए गए निविदा पत्र में अलग-अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा।
- (xxi) **"निविदाकार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेन्दू पत्ता क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्ताकिती सम्मिलित होंगे।
- (xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो ऊपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है।
- (xxiii) **"मानक बोरा"** एक मानक बोरा का आशय 50 पत्तों की प्रति गड़्डी मान से 1000 गड़्डियों अर्थात् 50,000 पत्तों से है।

2. इकाईयों का विवरण-

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिसमें से संग्रहण किया जाना है मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ते.प./11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना-

अधिनियम 1964 तथा नियमावली 1966 के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे क्रेताओं के ऊपर लागू होते हैं निविदा सूचना एवं क्रेता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर-

- (I) शर्त क्रमांक 4(II) के अधीन रहते हुए तेन्दू पत्ते का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है। इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन गोदामीकृत तेन्दू पत्ते के लाटों जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा प्रत्येक लाट में तेन्दू पत्ता की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें वास्तविक बोरो की उपलब्धता के बारे में भी अपनी संतुष्टि कर लें। निविदा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् तेन्दू पत्ते की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के संबंध में किसी भी समय कोई भी विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही निविदाकार का आफर स्वीकृत हो जाने के पश्चात् संघ तेन्दू पत्ते की गुणवत्ता में हास के लिए उत्तरदायी होगा तथा तेन्दू पत्ता क्रेता के उत्तरदायित्व पर गोदाम में भण्डारित रहेगा।
- (II) ठेका तेन्दू पत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरो में अधिसूचित मात्रा के क्रय / विक्रय के लिए होगा। परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरो हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा। अतिरिक्त राशि का भुगतान क्रेता द्वारा लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा किशतों में तदनुसार संशोधन किया जावेगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किशतों को मान्य करना होगा।
- (III) स्टॉक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानान्तरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ/जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।

5. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

- (I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह / वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है / कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में। भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा जिसे मुख्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे। पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ अपलोड की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो। मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया हो तथा कम्पनी को सर्टीफिकेट ऑफ इनकापेरेशन (Certificate of Incorporation) की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी। अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा परिवार के समस्त सदस्यों की सूची निविदा पत्र के साथ अपलोड की जावेगी।
- (II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा। यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्यारनामा या

भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी। मुख्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

- (III) अवयस्क, दिवालिया, बकायादार अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी। यदि कोई व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच.यू.एफ) अगर काली सूची में दर्ज है तो यह माना जायेगा कि, काली सूची में दर्ज पार्टनरशिप फर्म के समस्त पार्टनर, कम्पनी के समस्त संचालक एवं अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ता एवं समस्त सदस्य, भी काली सूची में है।

उपरोक्त काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अन्य किसी प्रोपराइटी फर्म, पार्टनरशिप फर्म एवं कम्पनी में सम्मिलित होने की स्थिति में वह फर्म भी काली सूची में दर्ज मानी जावेगी।

- (IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में रायपुर में देय हो, बकाया का भुगतान संघ कार्यालय या संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में निविदा खुलने के पूर्व कर सकता है, परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा।

- (V) निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता / निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह क्रेता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई है के पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अपलोड करनी अनिवार्य है।

6. सत्यंकार की राशि-

- (I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि, जो निविदा पत्र में दर्शित क्रय क्षमता की 10% होगी, के साथ शर्त क्रमांक 13 (I) में दर्शयि विवरण अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी।
- (II) क्रय क्षमता सत्यंकार की राशि की 10 गुना होगी और इस प्रकार मान्य की गई क्रय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जायेगा।
- (III) सफल निविदाकारों की सूची एवं असफल निविदाकारों की सूची संघ की वेबसाइट www.cgmfpfed.org पर क्रमशः परिशिष्ट-VI एवं परिशिष्ट VII में उपलब्ध रहेगी। सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त क्रमांक 10(I) के अनुसार क्रय मूल्य की 10% की सीमा तक समायोजित की जावेगी।
- (IV) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि तथा असफल निविदाकारों की पूर्ण सत्यंकार राशि परिणाम घोषित होने के उपरांत निविदा पत्र (Annexure-II Form No. 1 के क्रमांक-4) में दर्शायी बैंक खाते में वापस की जावेगी। बैंक खाते का विवरण निविदाकार द्वारा गलत भरने के कारण राशि निविदाकार को प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर निविदाकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। क्रेता के आवेदन पर भी अन्य किसी बैंक खाते में राशि वापस नहीं की जावेगी। अगले चक्र की निविदा हेतु निविदाकार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करनी होगी।

- (V) असफल निविदाकारों की सत्यंकार की राशि उन्हें निविदा परिणाम घोषित होने के उपरांत वापस की जावेगी।
- (VI) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. निविदा भरने की प्रक्रिया-

- (I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के क्रय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (II) निविदा केवल ऑन लाइन पोर्टल <https://cgmpfdtenders.abcprocure.com> पर प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी।
- (III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के क्रय के लिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार अलग-अलग क्रय दर देना होगी। निविदाकार तेन्दू पत्ता के प्रत्येक लाट के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर / उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा। प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नहीं। निविदा दर पूर्ण रूपसे में दी जावेगी।
- (IV) निविदाकार को अपने प्रथम प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक-1 पर, दूसरी प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुक्रमांक-2 पर और तदनुसार निविदा पत्र (परिशिष्ट II, Form II) में अंकित करना चाहिये। निविदाकार के द्वारा निविदा पत्र में दर्शाये गये प्राथमिकता क्रम में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करने दिया जावेगा।
- (V) विभिन्न लाटों के लिए प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकेंगे कि लाटों, जिनके लिए प्रस्ताव दिये गये हैं, का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक न हो परन्तु प्रस्ताव केवल क्रय क्षमता तक ही स्वीकृत किये जावेंगे।
- (VI) यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का कुल क्रय मूल्य क्रय क्षमता के 10 गुना से अधिक है तो ऐसे प्रस्तावों (प्राथमिकता क्रम के अनुसार) जो इस सीमा से अधिक है, पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (VII) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये। यदि एक लाट के लिए निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की दरें समान है, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा और निचली प्राथमिकता के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये।
- (VIII) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (IX) निविदाकार को अपने निविदा पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता, दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। इस पते पर ई-मेल से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे। निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है। यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक का पता या ई-मेल का पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
- (X) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक फार्म (Templates) को भरना होगा और उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को अपलोड कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक-5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा। सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ अपलोड न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी।

8. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि-

निविदा के Final Submission उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट / लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता। इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट / लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 10% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली-सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

9. निविदाओं को स्वीकार किया जाना-

- (I) शासन / संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव / प्रस्तावों को बिना कारण दशयि स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन / संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर / अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जावेगा। यदि निविदा दर एवं प्राथमिकता क्रम दोनों एक समान हों तो लाट के आवंटन की प्राथमिकता संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी।
- (IV) निविदाकार ऐसे लाट / लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते हैं और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

10. प्रतिभूति निक्षेप-

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर कुल क्रय मूल्य की 10% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करनी होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी।
- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।
- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।
- (IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामों के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी। लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा। उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

11. तेन्दू पत्ते का परिदान -

- (I) तेन्दू पत्ते को परिवहन / निकासी की अनुमति भण्डारित मात्रा के अनुसार देय किशत की पूर्ण राशि के भुगतान होने पर ही क्रेता को दी जावेगी।
- (II) देय किशत की राशि के पूर्ण भुगतान होने के पश्चात् लाट की कुल अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा का परिदान दिया जावेगा। परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेन्दू पत्ते की छटाई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा, जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया हो।
- (III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (IV) (अ) प्रथम किशत की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा। क्रेता के आवेदन पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देगा। खुले परिदान के अंतर्गत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जावेगा। परिदान के समय लाट में से बोरों की छटाई की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जावेगा, जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया है।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड़्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा। इस प्रकार गिनती एवं गड़्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेन्दू पत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा।

(i) इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा में साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) तक कमी आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किशत के तेन्दू पत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा। इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किशतों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेन्दू पत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा। शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड़्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किशत की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी जमा राशि आगामी किशत / किशतों में समायोजित की जावेगी।

(iii) यदि इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किशत के तेन्दू पत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम / अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किशतों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किशतों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार

पर ही क्रेता को आगामी किश्तों के तेन्दू पत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किश्त के उपरांत आगामी किश्तों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा।

इस प्रकार शर्त क्रमांक 11(IV) (ब)(i), (ii), (iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में मुख्य वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12. अधिनियम आदि का उल्लंघन-

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और / अथवा क्रेता करारनामे की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वह दंडित किया जाता है या उसके करारनामे को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा।

13. . देय राशि की भुगतान की प्रक्रिया-

(i) निविदाकार द्वारा

निविदाकार को सत्यंकार (E.M.D) की राशि का भुगतान आनलाइन Payment Gateway Service Provider के माध्यम से ही करना होगा। निविदाकार द्वारा आनलाइन भुगतान निम्न में से किसी प्रकार से किया जा सकता है।

1. क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards)

निविदाकार द्वारा क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड (VISA / Master / Maestro Cards) के विकल्प का चयन करने के उपरांत Payment Gateway में दशायि निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

2. नेट बैंकिंग (Net Banking)

निविदाकार केवल नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध बैंक के खाते से ही राशि आनलाइन ट्रांसफर कर सकता है। नेट बैंकिंग के लिये कई बैंकों की सूची Payment Gateway में प्रदर्शित होगी। उसके बाद निविदाकार को अपने बैंक का चयन कर Payment Gateway में दशायि निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

3. आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी (RTGS / NEFT)

निविदाकार को संलग्न परिशिष्ट-X की कंडिका 2.2 में दशायि निर्देश (Instructions) के अनुसार भुगतान की कार्यवाही करना होगा।

(ii) निविदाकार द्वारा क्रेता नियुक्त होने पर

क्रेता द्वारा राशि का भुगतान अपने किसी बैंक खाते से संघ के आई.सी. आई.सी. बैंक खाता क्रमांक 016101015839 (ICIC0000161) पर Portal cgmf.project247.in में निम्न प्रक्रिया अनुसार चालान प्राप्त करने उपरांत ऑनलाइन आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य है। बिना चालान प्राप्त किये सीधे आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी.के माध्यम से राशि हस्तांतरण अमान्य रहेगी।

सभी क्रेताओं को उक्त सिस्टम हेतु आई.डी.पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा। सभी क्रेता Portal cgmf.project247.in में लॉगिन कर उनको आबंटित लॉटवार सूची देख सकते हैं।

यदि क्रेता को किसी भी लॉट से संबंधित भुगतान करना है तो लॉट सूची में क्लिक करें। क्लिक करने पर क्रेता को आबंटित लॉटवार सूची प्रदर्शित होगी। इस पेज पर किसी भी लॉट में क्लिक करने से उस लॉट से संबंधित जानकारी एवं विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु पेज खुलेगा।

- i. क्रेता द्वारा समस्त भुगतान के पूर्व संघ से PBSMS पोर्टल के माध्यम से ही आयकर छूट हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके पश्चात् लॉट के लिये क्रयमूल्य के 2% ABS (Access Benifit Sharing) जमा कराना होगा। ABS (Access Benifit Sharing) की राशि ऑनलाइन माध्यम से अथवा बैंक गारण्टी /एफ.डी.आर- Post Bid Sale Management System के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
- ii. उपरोक्तानुसार कार्यवाही उपरांत क्रेता को इसी पेज में प्रथम किश्त की राशि की जानकारी के आगे Pay now का बटन प्रदर्शित होगा। इस बटन पर क्लिक करके क्रेता चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किश्त की राशि जमा कर सकता है। इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि जमा की जानी है।
- iii. चतुर्थ किश्त की राशि जमा करने हेतु पहले क्रेता को संघ से PBSMS पोर्टल के माध्यम से ही आयकर छूट हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद PBSMS में प्रदर्शित चतुर्थ किश्त की भुगतान राशि को जिला यूनियन द्वारा समायोजन किया जावेगा। तत्पश्चात् क्रेता को चतुर्थ किश्त की राशि की जानकारी के आगे Pay now का बटन प्रदर्शित होगा। इस बटन पर क्लिक करके क्रेता चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किश्त की राशि जमा कर सकता है।
- iv. क्रेता द्वारा Pay full Installment बटन पर क्लिक कर चालान प्राप्त कर अथवा आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से सम्पूर्ण किश्त की राशि जमा कर सकता है।

14. ऑनलाइन क्रेता करारनामा निष्पादन की प्रक्रिया -

क्रेता के पास क्रेता करारनामा को ई-साइन करने के लिये (Digital Signature Certificate DSC) होना आवश्यक है। क्रेता द्वारा उसी DSC का उपयोग करना होगा जिसका उपयोग कर ई-निविदा में भाग लिया गया था अन्य किसी भी DSC का उपयोग करने पर क्रेता करारनामा Digitally Signed नहीं माना जावेगा। POST BID SALE MANAGEMENT SYSTEM Portal cgmf.project247.in के माध्यम से क्रेता करारनामा निष्पादन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है:-

1. जारी करारनामा को क्रेता द्वारा डाउनलोड किया जाकर DSC के माध्यम से Digitally Sign कर PBSMS में अपलोड किया जावेगा।
2. क्रेता द्वारा करारनामा की Digitally Signed की प्रति स्वतः वृत्त कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। इस प्रति को वृत्त कार्यालय द्वारा क्रेता करारनामा डाउनलोड किया जाकर मुख्य वन संरक्षक के DSC के माध्यम से Digitally Sign कर PBSMS में अपलोड किया जावेगा।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं क्रेता द्वारा DSC के माध्यम से Sign किया गया क्रेता करारनामा स्वतः मुख्य वन संरक्षक, प्रबंध संचालक जिला यूनियन एवं क्रेता की लॉगिन पर प्रदर्शित हो जायेगा।

परिशिष्ट- IV

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प. (2025)-II दिनांक 16.07.2025 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांकमाह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, वृत्त (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री.....
.....आत्मजनिवासी.....
.....ग्राम.....और जो (1) श्री.....
..(2) श्री(3) श्री
..... के साथस्थित कम्पनी, जिसका नाम
.....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालयमें स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राह्य न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो) चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दू पत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूंकि राज्य शासन ने तेन्दू पत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है। संघ ने वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य में गोदामीकृत तेन्दू पत्ते के विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2025)-II दिनांक 16.07.2025 के द्वारा निविदाये आमंत्रित की थी, और क्रेता लॉट क्रमांक (अंको में)
..... (शब्दों में) समिति का नाम एवं अधिसूचित मात्रा(अंकों में)..... (शब्दों में) और जिसको कथित निविदा सूचना की अनुसूची में पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेन्दू पत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेन्दू पत्ते हेतु प्रथम निविदा के क्रय हेतु दिनांक **15-02-2026**, द्वितीय निविदा के क्रय हेतु दिनांक **15-03-2026** एवं तृतीय निविदा के क्रय हेतु दिनांक **15-04-2026** को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं:-

1. क्रेता करारनामा की अवधि-

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और प्रथम निविदा हेतु दिनांक **15-02-2026**, द्वितीय निविदा हेतु दिनांक **15-03-2026**, एवं तृतीय निविदा हेतु दिनांक **15-04-2026**, तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य / अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्याधीन है।

3. क्रय दर आदि -

क्रेता इस लाट में संग्रहित / क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से कम या अधिक हो सकती है को रु..... (अंकों में) (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की क्रय दर पर क्रय करेगा। लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर / उपकर भी अदा करेगा।

4. विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर -

(I) उप कंडिका (II) के अध्याधीन रहते हुये तेन्दू पत्ते का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर है। पत्तों की गुणवत्ता या उनके बीड़ी निर्माण हेतु उपयुक्तता के बारे में किसी भी समय कोई विवाद मान्य नहीं किया जायेगा और न ही संघ उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार के दास के लिये उत्तरदायी होगा तथा पत्ते का भंडारण क्रेता के उत्तरदायित्व पर रहेगा।

(II) यह अनुबंध तेन्दू पत्ते की मानक बोरे में अधिसूचित मात्रा के क्रय / विक्रय के लिये है। वास्तविक बोरे की संख्या के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं किया जायेगा। यदि इस अनुबंध में सम्मिलित किसी लाट में निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे निकलते हैं तो क्रेता को उन्हें भी लाट के लिये अनुबंध की कंडिका 20 में दशयि स्वीकृत दर पर अतिरिक्त भुगतान कर क्रय करना होगा। ऐसा अतिरिक्त भुगतान क्रेता को लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी होने के पूर्व करना होगा जैसा कि निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है। अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ सुरक्षित रखता है तथा किशतों में तदनुसार संशोधन किया जायेगा और क्रेता को संशोधित मात्रा एवं किशतों को मान्य करना होगा।

(III) स्टॉक की उल्टा-पल्टी करने या उन्हें किसी अन्य गोदाम में स्थानांतरित करने का अधिकार, क्रेता को इस आशय की सम्यक् सूचना कि यदि वह चाहे तो उपरोक्त कार्य के समय उपस्थित रह सकता है, दिये जाने के उपरांत संघ / जिला यूनियन के पास सुरक्षित है।

5. देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति-

(अ) चूंकि क्रेता.....(यहां संख्या दशयि) लाट / लाटों के लिए क्रेता नियुक्त किया गया है और वह लाटवार परिदान लेने हेतु इच्छुक है तथा उसने सभी लाटों के लिए एकल अनुबंध करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन दिया है, अतः यह अनुबंध सभी कथित लाटों के लिये किया गया है। इस अनुबंध में निहित सभी लाटों का कुल क्रय मूल्य (कर / उपकर को छोड़कर) जिसे इस अनुबंध कि कंडिका 20 में दर्शाया गया है इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए क्रय मूल्य माना जाएगा तथा इस राशि का एक चौथाई भाग प्रत्येक किशत की राशि (कर / उपकर को छोड़कर) होगी (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)।

क्रेता देय राशि अर्थात् देय करें सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किशतों में, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से शर्त क्रमांक 13 (ii) के अनुसार निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा।

(राशि रुपये में)

किश्त	देय राशि की किश्तों के भुगतान की तिथि	क्रय मूल्य की राशि	अन्य हस्ता. शुल्क, विलंब शुल्क, पुनर्जीवन शुल्क एवं ऐशेज बेनिफिट शेयरिंग शुल्क आदि	योग (3+4)	वस्तु एवं सेवा कर
1	2	3	4	5	6
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
चतुर्थ					

प्रत्येक किश्त के भुगतान के साथ आयकर रु. की किश्त का भुगतान भी करना होगा।

उपर वर्णित कर / उपकर, आयकर एवं अन्य करों में पश्चातवर्ती संशोधन होने पर तदनुसार यथास्थिति संशोधित राशि क्रेता द्वारा देय होगी।

निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार पटाई गई प्रतिभूति निक्षेप या उसकी अवशेष राशि जैसी भी स्थिति हो, जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के संतुष्ट होने पर इस अनुबंध की कंडिका 9 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अंतिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।

(ब) यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बारबर राशि की छूट दी जावेगी। यदि क्रेता इस सूविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा।

(स) यदि कोई क्रेता देय तिथि तक किश्त का भुगतान नहीं करता है, तो क्रेता द्वारा विलंब शुल्क का भुगतान किया जावेगा। विलंब शुल्क की गणना क्रय मूल्य एवं 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से विलंब शुल्क देय होगा। यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो विलम्ब शुल्क की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी।

- (द)(I) क्रेता तेन्दू पत्ते का निविदा सूचना की अनुसूची में अधिसूचित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा। क्रेता को पतो का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि का विलंबित भुगतान की स्थिति में विलम्ब शुल्क सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है।
- (II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा। परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है।(यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)
- (III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(IV)(अ) प्रथम किशत की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् यदि क्रेता लाट के पत्तों का खुला परिदान लेना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र मुख्य वन संरक्षक को देना होगा। क्रेता के आवेदन-पत्र पर मुख्य वन संरक्षक क्रेता को संघ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुला परिदान देने की अनुमति देगा। खुले परिदान के अंतर्गत लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा। परिदान के समय लाट में से बोरों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली के उस एक ओर से दिया जायेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है।

(ब) इस प्रकार के परिदान के समय प्रत्येक बोरे को खोलकर उसमें भरी हुई गड़्डियों की गिनती क्रेता के समक्ष की जावेगी तथा उन्हें बोरों में पुनः भरकर तदनुसार मात्रा का निर्धारण कर परिदान दिया जावेगा। इस प्रकार गिनती एवं गड़्डियों को बोरों में पुनः भरने, सिलाई, थप्पी करने आदि कार्यों पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा। इस व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा इस तेन्दू पत्ते के परिवहन के पूर्व किया जावेगा।

(i) इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा यदि लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) तक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में कोई कमी नहीं की जावेगी एवं तदनुसार प्रथम किशत के तेन्दू पत्ते का परिदान क्रेता को किया जावेगा। इस प्रकार पाई गई कमी के संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को देय राशि में किसी प्रकार की कोई छूट देय नहीं होगी तथा आगामी किशतों की देय राशि के भुगतान के पश्चात् शेष तेन्दू पत्ते का अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिदान कर दिया जावेगा। शेष अधिसूचित मात्रा के परिदान के पूर्व उसके अवशेष बोरों में गड़्डियों की कोई गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही खुला परिदान दिया जावेगा।

(ii) परन्तु यदि इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से साढ़े सात प्रतिशत ($7\frac{1}{2}\%$) से अधिक कम आती है, तो लाट की अधिसूचित मात्रा में तदनुसार कमी कर प्रथम किशत की देय राशि की गणना संशोधित कर क्रेता द्वारा अधिक जमा राशि आगामी किशत / किशतों में समायोजित की जावेगी।

(iii) यदि इस प्रकार गड़्डियों की वास्तविक गिनती के पश्चात् पाई गई मात्रा लाट की अधिसूचित मात्रा की एक चौथाई मात्रा से अधिक आती है, तो इस अधिक मात्रा के लिये क्रेता को क्रय मूल्य तथा उस पर देय समस्त कर आदि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार अधिक देय राशि के भुगतान के पश्चात् ही क्रेता को प्रथम किशत के तेन्दू पत्ते की इस अतिरिक्त मात्रा का परिदान दिया जावेगा।

(iv) उपरोक्त शर्त क्रमांक (ii) एवं (iii) के अनुसार कम / अधिक मात्रा के आधार पर आगामी किशतों की मात्रा भी संशोधित की जावेगी एवं तदनुसार इस संशोधित मात्रा के आधार पर क्रेता को आगामी किशतों की देय राशि का भुगतान करना होगा एवं इस संशोधित मात्रा के आधार पर ही क्रेता को आगामी किशतों के तेन्दू पत्ते का परिदान दिया जावेगा, जिसे उसे मान्य करना होगा। प्रथम किशत के उपरांत आगामी किशतों के पत्ते का खुला परिदान किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा।

इस प्रकार कंडिका 5 (द) (IV) (ब) (i), (ii), (iii) के अनुसार परिगणित की गई मात्रा एवं देय राशि के संबंध में मुख्य वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(ई) नीचे दी गई कंडिका (फ) के प्रावधान के अध्वधीन, किशत की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेन्दू पत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा।

(फ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेन्दू पत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेन्दू पत्ता की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेन्दू पत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा। तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नहीं किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 10,000/- का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन

संरक्षक को तेन्दू पत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमति ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी। परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेन्दू पत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व 30 दिवस की अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे।

6. करों का भुगतान-

- (I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए।
- (II) क्रेता छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर के अनुसार भुगतान करेगा।
- (III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, परिशिष्ट (I) की शर्त क्रमांक 13 (II) के अनुसार करेगा। यथा स्थिति संघ को देय पत्तों के क्रय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

7. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना-

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्रबंध संचालक जिला यूनियन छत्तीसगढ़ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रावधानित प्रारूप में **विक्रय प्रमाण पत्र** प्रदान करेगा।

8. करारनामे का अनुपालन-

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन / निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन / परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

9. प्रतिभूति निक्षेप-

- (I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्ताकृतियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्ताकृतियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रुपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है।
- (II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।
- (III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि, जैसी भी स्थिति हो, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् अंतिम किश्त के विरुद्ध समायोजित की जावेगी। लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक पायी गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा। उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

(V) उपरोक्तानुसार उप कंडिका (IV) में दशयि समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारण्टी / नगद राशि वन मंडलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामे के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरुद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी।

10. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ / शासन को रु. 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि की देनगी करेगा।

11. शास्तियाँ-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रुपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रुपये 500/- (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरुद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

12. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा:-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने।

(ब) गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने।

(स) (i) गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 12(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने। ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 7 के अंतर्गत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेन्दू पत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक

12(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी। यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा / नीलाम में नहीं हो पाता है अथवा पुनः विक्रय की स्वीकृति के पूर्व तेन्दू पत्ता अग्नि से नष्ट हो जाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य अथवा बीमा से प्राप्त राशि का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा। करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

संबंधित निविदा / नीलाम से समस्त करें सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा / नीलाम से समस्त करें सहित प्राप्तियां (-) राजसात की गई सत्यंकार एवं प्रतिभूति निक्षेप से प्राप्त राशि।

- (ii) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,
- (iii) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
- (द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,
- (ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV) (अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धन राशि जिसमें देय राशि, विलंब शुल्क समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रुपये 10,000/- एवं लागू GST प्रति लाट की दर से पुनर्जीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुनर्जीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेन्दू पत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा। क्रेता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका-5(फ) में दशयें अनुसार गोदाम किराये, यदि पुनर्जीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है, का भुगतान अग्रिम में करना होगा।

- (ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 12(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.045% प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क एवं रुपये 10,000/- एवं लागू GST प्रति लाट की दर से पुनर्जीवन शुल्क देना होगा। पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे।

परंतु क्रेता द्वारा पुनर्विक्रय के पूर्व उक्त लॉट के देय किश्तों की पूर्ण राशि करें सहित, ब्याज 0.045% प्रतिदिन गोदाम किराया, 25,000/- रुपये अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में एवं अन्य कोई देय राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुये समयसीमा निर्धारित करेंगे एवं तदनुसार क्रेता करारनामा की अवधि वृद्धि एवं संबंधित लॉट को पुनर्जीवित कर, तेन्दूपत्ता मुक्त करने की अनुमति दे सकेंगे।

- (V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
- (VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, विलम्ब शुल्क, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रुपये 10,000/- प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क एवं गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रुपये 5/- प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेन्दू पत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे।

13. लेखाओं का रख-रखाव-

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए।

14. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन-

- (अ) क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा।
- (ब) क्रेता जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ जैवविविधता नियम 2015 के अधीन किये जाने वाले समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा।

15. स्कंध का बीमा-

- (I) क्रेता करारनामा निष्पादित होने के बाद, संघ लाट / लाटों के स्वीकृत क्रय मूल्य के बराबर की राशि का बीमा, केवल निम्नानुसार आकस्मिकताओं से होने वाली हानि के लिए कराएगा- अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पोनटेनियस कम्बश्चन।
- (II) (अ) यदि क्रेता चाहे तो वह:-
- अन्य प्राकृतिक अथवा अदृष्ट आपदाओं जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, बीमारी, भूकम्प या अन्य किसी भी कारण से हुई क्षति के लिए बीमा अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा और इन कारणों से हुई हानि या क्षति के लिए संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 - संघ के द्वारा कराए गए बीमा की राशि से उच्च राशि के लिए भी बीमा वह अपने स्वयं के व्यय पर करा सकेगा।
- (ब) ऐसी अधिक राशि अथवा उपरोक्त संदर्भित अन्य आपदाओं के लिए बीमा कराने की सूचना क्रेता को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को देनी होगी।

(III) यहां किये गये प्रावधान के अलावा संघ, किसी भी कारण से तेन्दू पत्ते के स्टॉक को हुई क्षति के कारण क्रेता को किसी प्रकार की हुई हानि या लाभ की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि तेन्दू पत्ता की किसी भी मात्रा की क्षति होती है तो संघ केवल, उसके द्वारा की गई बीमा की राशि तक ही, अर्थात् क्रय मूल्य की सीमा तक ही क्षतिपूर्ति करने के दायित्वाधीन होगा और वह भी केवल उस स्थिति में जब हानि, अग्नि, लाईटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, इम्पेक्ट, हवाई दुर्घटनाएं, उपद्रव, हड़ताल, दुर्भावनाजन्य क्षति तथा स्पॉनटेनियस कम्बश्चन अर्थात् उपरोक्त उप कंडिका (I) में दर्शित कारणों से हुई हो और यह भी कि यह क्षतिपूर्ति उस स्थिति में ही की जावेगी जबकि क्रेता ने क्रय मूल्य की राशि संघ को पटा दी हो, परन्तु उसने परिदान न लिया हो। यह प्रतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर ही क्रेता को दी जाएगी।

16. तेन्दू पत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना-

क्रेता तेन्दू पत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञापत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा। लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञापत्र क्रेता के द्वारा समस्त देय राशियों के भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान-

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा।

18. प्रथम प्रभार-

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेन्दू पत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी।

(दो) क्रेता तेन्दू पत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये।

19. न्यायालय की अधिकारिता-

(एक) इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन / संघ के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन / संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से विलंब शुल्क सहित की जावेगी।

20. क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाटों का विवरण-

क्रेता के द्वारा क्रय किये गये लाटों का विवरण तथा किन दरों पर तेन्दू पत्ता क्रय किया गया है, नीचे दिया गया है।

(राशि रुपये में)

जिला यूनियन	लाट क्रमांक	समिति का नाम	मात्रा (मा.बो)	क्रय दर प्रति (मा.बो)	क्रय मूल्य	अन्य चार्ज जैसे-हस्ता.शुल्क, विलंब शुल्क, पुर्नजीवन शुल्क एवं ऐशेज बेनिफिट शेयरिंग शुल्क आदि
1	2	3	4	5	6	7
योग						

वस्तु एवं सेवा कर (6+7) के योग पर 18 प्रतिशत टी.पी. के संदर्भ में	योग (6+7+8)	आयकर क्रय मूल्य (क्रमांक 06 पर) 5 प्रतिशत अथवा शासन द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु घोषित दर या लोवर डिडक्शन सर्टिफिकेट अनुसार	योग (9+10)
8	9	10	11

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महा प्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने / उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन मुख्य महा प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया।

साक्षीगण :-

1.
(हस्ताक्षर) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से
नाम एवं डाक का पूरा पता
2.
(हस्ताक्षर) मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन मुख्य महा प्रबंधक
नाम एवं डाक का पूरा पता ----- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:-

साक्षीगण :-

1.
(हस्ताक्षर) क्रेता / क्रेताओं के हस्ताक्षर
नाम एवं डाक का पूरा पता नाम-.....
डाक का पता-.....
2.
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता